संख्या–726/65–3–12–49/2012

प्रेषक,

वी0एन0गर्ग
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।

विकलांग कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांकः 8 अगस्त, 2012

विषयः– राजकीय सेवाओं में विकलांगजन के बैकलाग को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग के अधिसूचना संख्या–20/4/2002–का–2–2009 दिनांक 11 फरवरी, 2009 उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया (तृतीय संशोधन) नियमावली–2009 के प्रस्तर–5(1) एवं प्रस्तर–6(2) में निम्नवत् व्यवस्था हैः–

प्रस्तर–5(1)

शारीरिक रुप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिये आरक्षित पदों से भिन्न पदों पर सीधी भर्ती करने के लिये रिक्तियॉ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जायेंगी और शारीरिक रुप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिये आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती करने के लिये रिक्तियॉ संबंधित विभाग, जिसके लिये भर्ती की जानी है, के विभागाध्यक्ष द्वारा अधिसूचित की जायेगी। रिक्तियॅा निम्नलिखित रीति में अधिसूचित की जायेगीः–

(एक) ऐसी दैनिक समाचार पत्र में जिनका व्यापक प्रसार हो, विज्ञापन जारी करके,
(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन करके, और
(तीन) रोजगार कार्यालय की रिक्तियॉ अधिसूचित करके।

प्रस्तर–6(2)

(2) शारीरिक रुप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी, भर्ती, चयन समिति के द्वारा की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगेः–
(एक) सम्बंधित विभाग, जिसके लिये भर्ती की जानी है, का विभागाध्यक्ष...अध्यक्ष

2– यह संज्ञान में आया है कि उपरोक्त अधिसूचना में उल्लिखित प्राविधानों के विपरीत विभागाध्यक्ष के अलावा भी कई कार्यालयाध्यक्ष बैकलाग की भर्तियॉ कर रहे हैं। यह स्पष्टतः उपरोक्त प्राविधान का उल्लंघन है।

3— कृपया नियमावली की उपर्युक्त व्यवस्था के अनुरूप भर्ती की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0/—
( वी0एन0 गर्ग )
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लखनऊ।
2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

ह0/—
( अनिल कुमार सागर )
विशेष सचिव।